जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 630/2026
सफियासराय थाना कांड संख्या– 81/2025

---

1. अरूण यादव.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से – **श्रीमती रानी कुमारी, विद्वान अधिवक्ता।**

विपक्षी/सरकार की ओर से – **श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।**

20.05.2026 आवेदक **अरूण कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में एबीए सं0 388/2026 दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया गया। आवेदक इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध एक अन्य वाद नया रामनगर थाना कांड सं0 80/2022 दर्ज है। आवेदक पर धारा 109(1) बीएनएस तथा 27 शस्त्र अधिनियम का आरोप नहीं बनता है। आवेदक के विरुद्ध स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक अमरेश कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 27.09.2025 को 12:05 बजे गुप्त सूचना मिली कि महमदपुर कब्रिस्तान के आगे पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो रही है। सूचक ने उचित कार्यवाही कर अपने साथ सशस्त्र बल के साथ उक्त स्थान पर गया तथा समझाने का प्रयास किये, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोली फायर करने लगे, तब सूचक ने करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया तथा भागने

लगातार

20.05.2026. वालों में आवेदक सहित करीब 40–50 अज्ञात व्यक्ति थे। बबलू कुमार के घर से एक रिवाल्वर, 12 बोर का 112 एनओएस, 0.315 बोर का 111 एनओएस, 0.380 बोर का 38 एनओएस 0.325 बोर का 12 गोली बरामद हुआ। बरामद सामान को जप्त किया गया। चौकीदार बताया कि आवेदकगण सहित अन्य 40–50 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नाजायज मजमा बनाकर धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर गोली फायर किया। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 191(2), 193(3), 190, 126(2), 115(2), 132, 196, 109(1), 285 बीएनएस एवं 30/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख के अवलोकन से यह पाता हूँ कि आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर नजायज मजमा बनाकर धार्मिक दृष्टिकोण से मारपीट करने एवं गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। वाद के सह अभियुक्तों को समान आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा तथा इस न्यायालय के द्वारा जमानत प्रदान की गयी है। आवेदक पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक **अरूण यादव** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
20.05.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
20.05.2026.